संख्या : 60/2015/945/छप्पन-2015-41/03 टी0सी0

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 24 जुलाई, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 के लिये चार वाहन किराये पर लिये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 274/ना0उ0वि0/वाहन/2015, दिनांक 9.6.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के उपयोगार्थ "निजी ट्रेबल एजेन्सियों से किराये पर वाहन लिये जाने" विषयक राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- एम0-1745/32-3-15-7(32)/2001 टी0सी0, दिनांक 7.4.2015 के अन्तर्गत निजी फर्मों को आबद्ध करते हुए शासनादेश द्वारा निर्धारित किराये की दरों के अनुसार अधिकतम 4 वाहन किराये पर लिये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(क) अपरिहार्य / न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर किराये पर लिये जाने वाले वाहनों की संख्या (अधिकतम 04) अवधारित की जायेगी।

(ख) किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का संचालन अपरिहार्य/न्यूनतम व्यय के आधार पर किया जायेगा।

(ग) किराये पर लिये गये वाहनों पर होने वाले व्यय का मासिक विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें यह उल्लेख किया जायेगा कि वाहन का संचालन आलोच्य माह में किस प्रयोजन हेतु किस अधिकारी के उपयोगार्थ कितने किलोमीटर तक किया गया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 7.4.2015 में इंगित फर्म से न्यूनतम किराये और अपरिहार्य आवश्यकता के आधार पर ही वाहन किराये पर लिये जायेंगे और फर्म को भुगतान सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासकीय सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय के मानक मद-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-620/दस-2015, दिनांक 22 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 60/2015/945(1)/छप्पन-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।